

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2005/पौष 2, 1927

[र.रा.रा.क्षे.दि. सं. 578

No. 187]

DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2005/PAUSA 2, 1927

[N.C.T.D.No. 578

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2005

सं. फा. 19(112)/परि./सचि./2005/1411.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 116 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली यातायात पुलिस में उपायुक्त पुलिस तथा इससे अधिक रैंक के अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 116 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय एस. मदान, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd December, 2005

No. F. 19(112) Tpt./Sectt./2005/1411.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 116 read with clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorise the officers of the rank of Deputy Commissioner of Police and above in the Delhi Traffic Police to exercise the powers under sub-section (4) of Section 116 of the said Act.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

VIJAY S. MADAN, Secy.-cum-Commissioner